

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 172/अ/1995-96

यह प्रमाणित किया जाता है कि वालसल्य सोसायटी

जयपुर

जिला

जयपुर

का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक १२ माह जुलाई सन् एक हजार नौ सौ षित्पत्त को राजस्थान संस्था में दिया गया।



मस्ता
172/अ/1995-96
रजिस्ट्रार संस्था

रा० रा० सं० मु० लि०, जयपुर-1

hitesh@ratsalya.org